भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1558

10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष स्वास्थ्य परिचर्चा केंद्र की स्थापना करना

1558. श्री चिराग कुमार पासवान:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बिहार में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कितने स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिला-वार आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयुर्वेदिक औषधियों के लिए मौजूद जड़ी-बूटियों का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का आयुर्वेदिक औषधियों के उत्पादन के लिए नई विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बिहार में आयुष अस्पताल स्थापित करने के लिए कोई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या बिहार में रोगियों को आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी दवाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, बिहार में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। हालांकि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, 50/30/10 बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा शामिल हैं। तदनुसार, राज्य सरकार राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है। एनएएम के तहत, एसएएपी के माध्यम से बिहार राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने एकीकृत आयुष अस्पताल की एक इकाई को मंजूरी दी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान 302.695 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान, बिहार राज्य सरकार के एसएएपी को 9311.916 लाख रुपये की राशि के लिए अनुमोदित किया गया है, जिसमें एकीकृत आयुष अस्पतालों की तीन नई इकाइयों और एक चल रहे एकीकृत आयुष अस्पताल के प्रस्ताव शामिल हैं और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत धन जारी करने की प्रक्रिया और धन के उपयोग की निगरानी के संबंध में व्यय विभाग के दिनांक 23.03.2022 के दिशा-निर्देश सं. एफ.एन.1 (13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 और दिनांक 21.06.2022 के शुद्धिपत्र की शर्तों को बिहार राज्य सरकार द्वारा पूरी करते ही केंद्रीय हिस्से का पात्र अनुदान शीघ्र जारी किया जाएगा।

(ख): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, आयुष शिक्षा पद्धति के लिए नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को शैक्षणिक वर्ष, 2023-24 के लिए नए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा कॉलेज की स्थापना के लिए नया सरकारी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग): औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) दवाओं के लिए विशेष नियामक प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 3(क), 3(ज)(झ) विशेष रूप से एएसयू दवाओं से संबंधित है और इसी तरह आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के लिए नियामक प्रावधान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 151 से 170 में निर्धारित हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियम, 1945 में उल्लिखित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के औषध लाइसेंस जारी करने और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कानूनी प्रावधानों को लागू करने का अधिकार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषध नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के पास है।

(घ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, आयुर्वेद दवाओं के उत्पादन के लिए नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। हालांकि, आयुष मंत्रालय उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए आयुष फार्मेसियों और औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के घटक में से एक के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है।

(ङ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, बिहार में आयुष अस्पताल की स्थापना संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। हालांकि, एनएएम के तहत, 50/30/10 बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। एनएएम के तहत, एसएएपी के माध्यम से बिहार राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने एकीकृत आयुष अस्पताल की एक इकाई को मंजूरी दी है और 2014-15 से 2021-22 तक 302.695 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।

(च): सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, बिहार में रोगियों को निःशुल्क आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। हालांकि, एनएएम के तहत, आयुष मंत्रालय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत एसएएपी में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार आयुष स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवश्यक आयुष दवाओं की आपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है।

*****